उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–4
संख्या–1098 / 77–4–24 / 136 अपील / 23
लखनऊः दिनांक– 15 फरवरी, 2024

मै0 सिविटेक डेवलपर्स प्रा0 लि0 ... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा ... विपक्षीगण

यह पुनरीक्षण याचिका मै0 सिविटेक डेवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा नोएडा में आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–जीएच–02/C, सेक्टर 77 के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2018 के विरूद्ध दिनांक 01.12.2023 को उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 12 के अंतर्गत दाखिल की गई है। प्रकरण के संबंध में प्राधिकरण के पत्र दिनांक 18.01.2024 द्वारा आख्या उपलब्ध कराई गई है। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के सम्बन्ध में दिनांक 18.12.2023 को सुनवाई बैठक आयोजित की गई, जिसमें आभासी रूप में प्राधिकरण की ओर से श्री सतीश पाल, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अनिल कुमार सिंह, अतिरिक्त महा प्रबन्धक एवं श्री इश्तियाक अहमद, महाप्रबन्धक (नियोजन) द्वारा तथा याची संस्था की ओर से श्री सुबोध गोयल एवं श्री मनीष गुप्ता, अधिवक्ता द्वारा भौतिक रूप से प्रतिभाग किया गया।

2. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा अपनी याचिका में यह कहा गया है कि भूखण्ड संख्या जीएच–02, सेक्टर 77 क्षेत्रफल 62200 वर्ग मीटर का आवंटन दिनांक 31.03.2010 को एक कंसोर्शियम के पक्ष में हुआ था। तदोपरान्त इस भूखण्ड का उप–विभाजन किया गया एवं उप–विभाजित भूखण्ड संख्या जीएच–02 / सी, सेक्टर–77 क्षेत्रफल 20500 वर्ग मीटर की लीज डीड प्राधिकरण एवं याची संस्था के मध्य दिनांक 31.08.2010 को निष्पादित की गई है। प्रश्नगत भूखण्ड का कब्जा दिनांक 01.09.2010 को प्राप्त किया गया तथा इस भूखण्ड के नक्शों का अनुमोदन भी दिनांक 11.03.2011 को दे दिया गया। नक्शे के अनुसार कुल 8 टावर्स में 548 फ्लैट निर्मित किये जाने थे।

3. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वर्ष 2012 में रिट याचिका संख्या 38698 / 2012 देवी सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

एवं अन्य इस आशय की योजित की गई कि अधिसूचना दिनांक 12.04.2005 एवं दिनांक 27.07.2006 द्वारा जो भूमि अधिग्रहण की गई, उन्हें निरस्त किया जाए।

4. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा भूखण्ड पर समस्त निर्माण दिनांक 26.12.2014 तक कर दिया गया था एवं तदोपरान्त उसके द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु आवेदन किया गया। उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही रिट याचिका संख्या 38698/2012 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2015 को आदेश पारित करते हुए इस भूखण्ड से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण को निरस्त कर दिया गया। पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह भी कहा गया है कि उसे तत्समय रिट याचिका की जानकारी नहीं थी। इस रिट याचिका की जानकारी उसे तब हुई जब इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। भूमि अधिग्रहण निरस्त होने पर फ्लैट क्रेताओं एवं ऋणदाताओं द्वारा अपनी धनराशि वापस मांगी जाने लगी, जिससे पुनरीक्षणकर्ता संस्था को आर्थिक क्षति हुई है।

5. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जिन व्यक्तियों की भूमि बहाल हो गई थी, उन्हीं कृषकों द्वारा इस भूखण्ड पर ट्रैक्टर समेत आकर व्यवधान उत्पन्न किया जाने लगा एवं इस कारणवश पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा ऐसे कृषकों को रू0 2,07,89,998/— का भुगतान भी किया गया है।

6. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध नोएडा प्राधिकरण द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी संख्या 22958/2015 दिनांक 12.08.2015 को दायर की गई, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2016 को मा0 उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया एवं विवाद को पुनः सुनने के लिए मा0 उच्च न्यायालय को निर्देशित कर दिया गया।

7. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि तदोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पुनः रिट याचिका संख्या 38698/2012 पर सुनवाई की गई एवं अपने आदेश दिनांक 05.09.2016 द्वारा रिट याचिका निरस्त कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध कृषकों द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी संख्या 2027/2017 दायर की गई जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2017 को निरस्त कर दी गई है।

8. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि हालांकि उसके द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिनांक 20.12.2014 को दे दिया गया था, किन्तु इसके बावजूद उसे conditional occupancy certificate दिनांक 29.02.

2016 को प्राप्त हुआ है। चूंकि यह प्रमाण पत्र conditional था, अतः आवंटियों द्वारा यह अंदेशा व्यक्त की जाने लगी कि यह निर्माण पूर्ण हो भी पाएगा अथवा नहीं एवं कई आवंटियों द्वारा अपना आवंटन निरस्त करने की मांग की गई। अंततः पूर्ण occupancy certificate दिनांक 09.06.2017 को प्राप्त हुआ है, जिसमें उपरोक्त (conditional) शर्तें हटा ली गई हैं।

9. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उपरोक्त भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुकदमों के कारण उसका काफी नुकसान हुआ है एवं तद्नुसार उसे शून्य काल का लाभ प्रदान किया जाए। उसके द्वारा यह भी कहा गया है कि इन मुकदमों के कारण उसे रू0 2,07,89,998/— का भुगतान करना पड़ा है, जो कि उसे वापस किया जाए। इस संबंध में प्रत्यावेदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी को दिया गया था, जिस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कोई निर्णय न लिये जाने पर उसके द्वारा रिट याचिका संख्या 14992/2018 मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.04.2018 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रत्यावेदन निस्तारित करने के आदेश दिये गये हैं।

10. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.07.2018 द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है, किन्तु उसे पूर्ण शून्य काल का लाभ दिनांक 06.05.2015 से दिनांक 05.09.2016 का प्रदान नहीं किया गया है, जो कि सही नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह याचना की गई है कि उसे आवंटन के दिनांक 31.03.2010 से मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.09.2016 तक के शून्य काल का लाभ प्रदान किया जाए तथा जो अवांछित भुगतान उसके द्वारा कृषकों को किये गये हैं, वह भी वापस किये जाएं।

11. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या—38698/2012 में दिनांक 06.05.2015 को आदेश पारित कर ग्राम—सौहरखा जाहिदाबाद की भूमि के अर्जन के लिए जारी की गई अधिसूचनाओं दिनांक 12.04.2005 व दिनांक 27.07.2006 को याचिकाकर्ता के भूखण्ड संख्या—103/1एम, क्षेत्रफल—0.2530 हे0 के 1/5 भाग में से सम्बन्धित अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया गया। प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2015 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका संख्या—22958/2015 (सिविल अपील संख्या—5027/2016 योजित की गई जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 09.05.2016 को उक्त अपील को निस्तारित कर दिया गया तथा याचिका को वापस मा0 उच्च न्यायालय में भेज दिया गया तथा पक्षकारों को

दिनांक 04.07.2016 को मा0 न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया तथा मा0 उच्च न्यायालय को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण को सुनवाई के पश्चात दिनांक 30.09.2016 तक निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

12. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका संख्या 38698/2012 में पुनः सुनवाई करके दिनांक 05.09.2016 को आदेश पारित कर याचिका को निरस्त कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2016 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका संख्या–सीसी नं0–2027/2017 योजित की गई जिसमें मा0 न्यायालय ने दिनांक 03.02.2017 को आदेश पारित कर विशेष अनुमति याचिका को निरस्त कर दिया गया।

13. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार से विधिक राय लेने हेतु पत्रावली प्रेषित की गयी। श्री रविन्द्र अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 02.12.2015 को दी गयी विधिक राय निम्नवत हैः–

आवंटी संस्था को इन शर्तों के साथ अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जा सकती हैः–

1. मौके पर निरीक्षण करने पर भवन का निर्माण नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार निर्मित पाया गया, परन्तु संदर्भित प्रकरण में याचिका संख्या–38698/2012 देवी सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय मानने के लिए बाध्य होगा।

2. आवंटी संस्था द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में अंतिम निर्णय के उपरान्त ही फ्लैट स्वामियों के उप–पट्टा प्रलेख निष्पादन करने सम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी।

उपरोक्त विधिक राय का प्रशासनिक अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिनांक 07.01.2016 को किया गया। अनुमोदनोपरान्त व विभागीय अन्य आवश्यक कार्यवाहियों को करते हुए दिनांक 29.02.2016 को सशर्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राधिकरण द्वारा निर्गत किया गया।

14. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 08.02.2017 को आवंटी संस्था द्वारा दिनांक 29.02.2016 को निर्गत किये गये अधिभोग प्रमाण

पत्र में शर्त संख्या–05 को हटाने का अनुरोध किया गया। शर्त संख्या–05 को हटाने का अनुरोध किया गया। शर्त संख्या–05 निम्नवत है:–

> "मौके का निरीक्षण करने पर भवन का निर्माण नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार निर्मित पाया गया। आवंटी संस्था संदर्भित प्रकरण में याचिका संख्या–38698/2012 देवी सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय मानने के लिए बाध्य होगा। आवंटी संस्था द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित एस०एल०पी० (पी) संख्या–22958/2015 में पारित अंतिम निर्णय के उपरान्त ही विवादित भूमि (506 वर्ग मीटर) के समानुपात में फ्लैट स्वामियों के उप पट्टा प्रलेख का निष्पादन किया जायेगा।"

15. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.02.2016 को निर्गत अधिभोग प्रमाण पत्र में उक्त शर्त संख्या–05 को हटाने के सम्बन्ध में विधिक राय लेने के बाद अधिभोग प्रमाण पत्र में लगायी गयी शर्त संख्या–05 को मा० सर्वोच्च न्यायालय में याजित एस०एल०पी० संख्या–22958/2015 पर हुए निर्णय के क्रम में हटाया गया, जिसकी सूचना प्राधिकरण के पत्रांक–नौएडा/मु०वा०नि०/2017/1014, दिनांक 09.06.2017 द्वारा आवंटी संस्था को दी गयी।

16. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण ने दिनांक 05.07.2018 को आदेश पारित कर रिवीजनकर्ता को उक्त भूखण्ड के 506 वर्ग मीटर भूमि पर दिनांक 06.05.2015 से दिनांक 05.09.2016 तक न्यायालय के आदेश प्रभावित रहे इसलिए कार्यालय आदेश दिनांक 28.03.2016 के क्रम में उक्त भूखण्ड के 506 वर्ग मीटर भमि पर दिनांक 06.05.2015 से दिनांक 05.09.2016 तक की अवधि का शून्य अवधि का लाभ प्रदान करते हुए रिवीजनकर्ता के प्रत्यावेदन दिनांक 10.05.2018 व दिनांक 29.01.2018 को निस्तारित कर दिया गया।

17. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि याचिकाकर्ता को भूखण्ड का कब्जा दिनांक 01.09.2010 को प्रदान किया जा चुका था जैसा कि रिवीजनकर्ता ने रिवीजन के पैरा नं0–3 में स्वयं स्वीकार किया गया है तथा रिवीजन के पैरा नं0–6 में भी रिवीजनकर्ता ने स्वीकार किया है कि याचिका के लम्बित रहने के दौरान उसने उक्त भूखण्ड पर Multi Storied Structure बन गया था। इस प्रकार रिवीजनकर्ता का उक्त भूखण्ड पर कब्जा था तथा उसके द्वारा भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया जा रहा था इसलिए रिवीजनकर्ता दिनांक 31.03.2010 से दिनांक 05.09.2016 तक की अवधि का शून्य लाभ प्राप्त करने

का अधिकारी नहीं है। इसलिए रिवीजनकर्ता का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

18. मेरे द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया तथा सुनवाई के समय प्रस्तुत साक्ष्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का परिशीलन किया गया। यह स्वीकार्य तथ्य है कि आवंटित भूखण्ड के कुछ भाग पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण द्वारा किये गये अधिग्रहण को निरस्त कर दिया गया था, जो कि कालान्तर में पुनः मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से बहाल हुआ है। प्रश्नगत भूखण्ड का आवंटन वर्ष 2010 में हुआ था एवं नक्शे इत्यादि पारित होने के उपरान्त निर्माण कार्य भी किये गये हैं। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2014 तक निर्माण पूरे हो चुके हैं एवं मात्र internal finishing का काम अवशेष था।

19. मूलतः इस प्रकरण में विवाद तब प्रारम्भ हुआ जब रिट याचिका संख्या 38698/2012 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.05.2015 द्वारा भूमि अधिग्रहण को निरस्त किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का सारवान भाग निम्नवत् है:—

> "For the reasons stated above, the writ petition is allowed. Notification no. 1022/77-4-2005-16 N-2002 Lucknow dated 12.04.2005 issued under Section 4(1)/17 of Land Acquisition Act and impugned notification no. 4464/77-4-2006-16 N-2002 Lucknow dated 27.07.2006 issued under Section 6 of Land Acquisition Act in respect of land of the petitioners on 1/5 part of the plot nos. 103/1M area 0.2530 hectares of revenue village Soharkha Jahidabad, Tehsil-Dadri, Distrcit- Gautam Budh Nagar are quashed. The lease deed dated 31.08.2010 allegedly executed by the Noida authority, Gautam Budh Nagar to respondent no. 5 in respect of the land in dispute is also quashed."

20. उपरोक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि गाटा संख्या 103/1 का क्षेत्रफल 0.253 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण तो निरस्त किया ही गया है, साथ ही साथ प्राधिकरण द्वारा जो लीज डीड दिनांक 31.08.2010 को निष्पादित की गई है, उसे भी निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार दिनांक 06.05.2015 के उपरान्त इस लीज डीड से संबंधित भूमि पर न तो कोई निर्माण हो सकता था एवं न ही उपभोग प्रमाण पत्र जारी हो सकता था। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी संख्या 22958/2015 द्वारा चुनौती दी गई, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2016 को सारवान अंश निम्नवत् है:—

"Leave granted.

It is an admitted fact that some of the persons who are interested in the land in question were not heard by the High Court.

We quash and set aside the impugned order without expressing any opinion on the merits of the case and remit the matters to the High Court.

The parties are directed to appear before the High Court on 4th July, 2016 so that date for final hearing may be fixed. It would be open to the parties to raise all contentions before the High Court and the High Court shall consider those contentions and dispose of the matters as soon as possible, preferably before 30th September, 2016.

If there is any other matter pending on the same subject, we request the High Court to take such matter along with these matters.

The appeals are disposed of in the above terms."

21. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनः इस विवाद को मा0 उच्च न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु remand कर दिया गया है एवं वाद के तथ्यों पर कोई निर्णय नहीं दिया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई की गई एवं अंततः दिनांक 05.09.2016 को आदेश पारित किया गया, जिसका सारवान भाग निम्नवत् हैः–

"We are of the considered opinion that there is no merit in this petition and it is accordingly, **dismissed.**

It is always open to the petitioners to seek recourse to law if they feel that the award made is not to their satisfaction. We also provide that if the petitioners make an application under Section 28-A of the Land Acquisition Act before the District Magistrate on the conditions mentioned therein being sausfied, the same shall be considered and decided at the earliest."

22. उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंततः मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.09.2016 द्वारा ही इस विवाद का पटाक्षेप किया जा सका था। हालांकि इस आदेश के विरूद्ध भी एक एसएलपी दाखिल की गई है, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.02.2017 पारित किये गये हैं जो कि निम्नवत् हैं:–

"Heard.

We record the statement of Mr. Sidharath Dave, learned counsel for the respondent, that the Award in the case of the petitioner has been duly made.

Delay condoned.

We do not see any ground to interfere with the impugned order. The special leave petition is accordingly dismissed.

Pending applications, if any, shall stand disposed of."

23. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2015 द्वारा लीज डीड निरस्त कर दी गई थी जो कि अंततः आदेश दिनांक 05.09.2016 द्वारा ही पुनः बहाल हो पाई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा भी जो उपभोग प्रमाण पत्र जारी किया गया था, वह एक conditional प्रमाण पत्र ही था, जिसमें यह स्पष्ट था कि आवंटी संस्था द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में अंतिम निर्णय के उपरांत ही फ्लैट स्वामियों को उप–पट्टा प्रलेख निष्पादन करने सम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

24. वस्तुतः इस प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.05.2015 द्वारा लीज डीड दिनांक 06.05.2015 को निरस्त कर दी गई थी जो कि दिनांक 05.09.2016 को बहाल की गई है। चूंकि यह प्रकरण प्राधिकरण की शून्य काल नीति के उस प्राविधान से आच्छादित होता है कि "मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में किसी अवधि में निर्माण करने में स्थगन हो", अतः मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2015 से मा0 उच्च न्यायालय के पुर्ननिर्णय दिनांक 05.09.2016 से पूर्ण भूमि पर शून्य काल प्रदान किया जाना वांछित है।

25. जहाँ तक पुनरीक्षणकर्ता की यह मांग कि उसके द्वारा जो धनराशि अतिरिक्त रूप में भू–स्वामियों को दी गई है, वह उसे वापस की जाए, तो यह धनराशि 2 प्राइवेट व्यक्तियों के मध्य लेन–देन से सम्बन्धित है। इसके लिए प्राधिकरण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अतः, पुनरीक्षणकर्ता की यह मांग कि उसे रू0 2,07,89,998/– वापस किये जाएं, स्वीकार्य योग्य नहीं है।

26. उपरोक्त विवेचना के क्रम में प्राधिकरण का आदेश दिनांक 05.07.2018 निरस्त किया जाता है एवं याची संस्था को उपरोक्तानुसार दिनांक 06.05.2015 से दिनांक 05.09.2016 तक का शून्य काल प्रदान किया जाता है। तद्नुसार

पुनरीक्षणकर्ता के देयकों का पुर्ननिर्धारण कर लिया जाए एवं पुर्ननिर्धारित धनराशि एक माह में जमा कराई जानी सुनिश्चित की जाए।

तद्नुसार एतद्द्वारा पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है।

अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव

संख्याः– 1098(1)/77–4–24 / 136 अपील / 23 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा।
2. श्री सुबोध गोयल, प्रबन्ध निदेशक, मे0 सिविटेक डेवलपर्स प्रा0लि0, 65, श्रेष्ठा विहार, दिल्ली–110092।
3. मो0 वली अब्बास, निदेशक, आई.टी. इन्वेस्ट यू0पी0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव